## दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती
## निर्णय

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु डॉ0 नरेश सोनी, (R.A.S.) मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

गुरूदयाल पुत्र बख्ताराम को पैतृक सम्पति में 1/5 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा बख्ताराम की पैतृक सम्पति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत पैतृक भूमि में पुत्र पुत्रियों का जन्म से ही सहहिस्सेदारी प्राप्त हो जाती है, अतः बख्ताराम के वारिसान का प्रत्येक का हिस्सा 1/5 के हकदार है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 धापा, श्रवण उर्फ श्रवणी जो की बख्ताराम की पुत्रीयां हैं जिसका पैतृक सम्पति में 1/5–1/5 हिस्से की हकदार है, तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 हस्ती पुत्री बख्ताराम के वारिसान है जिनकों सयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के हकदार है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम तिगियास की सींव में भूमि खसरा नम्बर 443/3

उनवान
संतरा बनाम धापा
मु0 नं0:– 03/2025

रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 462/51 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.70 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 का नाम हजफ किया जावे तथा वादीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाकर से राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी 1 लगायत 6 का नाम हजफ किया जावे। लेकिन 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन के पश्चात ही डिक्री की पालना राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार द्वारा की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/12/25 को खुले ईजलास में सुनाया गया ।

(डॉ0 नरेश सोनी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा